राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 122/2012/बीकानेर.

मैसर्स संजय बिश्नोई पुत्र श्री बंशीलाल बिश्नोई,
खाजूवाला, बीकानेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/08/2015

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 139/आरवैट/बीकानेर/2010–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 18.5.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(9) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 21.6.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अदम पैरवी में खारिज किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 4.4.2008 को बशीर रोड़, शेरगढ़ में वाहन संख्या आर.जे.07/जीए–3378 को चैक किये जाने पर वाहन में सरसों परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी ने उक्त माल मैसर्स बजरंग ट्रेडिंग कम्पनी, खाजूवाला के यहां से लदान करना एवं बठिण्डा (पंजाब) ले जाना जाहिर किया। माल से सम्बन्धित जी.आर. संख्या 1021 दिनांक 3.4.2008 प्रस्तुत की गई। इसके अलावा बिल/इन्वॉयस एवं घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी के बयान अनुसार वाहन में 160 बोरी सरसों परिवहनित की जा रही थी। बिल्टी में 130 बोरी अंकित पायी गयी तथा उक्त माल काश्तकारों का होने सम्बन्धी सरपंच के प्रस्तुत किये गये प्रमाण–पत्र में 107 बोरी होना बताया गया। इसके अतिरिक्त उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर बीकानेर द्वारा उक्त माल काश्तकारों का होने के विषय में गठित कमेटी ने माल काश्तकारों का ना होने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार मिथ्या दस्तावेजों से माल परिवहनित

लगातार.....2

किये जाने के आधार पर सक्षम अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 76(9) के तहत शास्ति रूपये 81,600/— का आरोपण आदेश दिनांक 21.6.2008 से किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.5.2011 से अदम पैरवी में खारिज किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किये बगैर अपीलार्थी की अपील अदम पैरवी में खारिज किये जाने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की है। इसके अलावा अपीलार्थी की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई थी, जिस पर विचारण नहीं किया गया। अग्रिम कथन किया कि अधिकृत प्रतिनिधि की गलती के लिये अपीलार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि को सुनवाई दिनांक नोट करवाये जाने के बावजूद अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर अपीलार्थी की अपील अदम पैरवी में खारिज किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में अपीलीय अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.5.2011 से पूर्व भी अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 1.6.2010 से अपीलार्थी की अपील अदम पैरवी में खारिज की गई थी। अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 1.6.2010 से पूर्ववर्ती तारीख पेशी दिनांक 28.4.2010 को आगामी तारीख पेशी अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री एस. एल. हर्ष को नोट करवाई थी, इसके बावजूद नियत तारीख पेशी पर अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 1.6.2010 से अपील अदम पैरवी में खारिज की।

लगातार.....3

7. इसके पश्चात अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 25.6.2010 से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया गया। तत्पश्चात विवादित आदेश दिनांक 18.5.2011 से पूर्ववर्ती तारीख पेशी दिनांक 26.4.2011 को भी अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि को आगामी तारीख पेशी 18.5.2011 नोट करवाई गई, किन्तु दिनांक 18.5.2011 को अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस पर अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 18.5.2011 को अपील अदम पैरवी में खारिज की है।

8. इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से भी प्रकट होता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. से प्रेषित नोटिस अपीलार्थी द्वारा प्राप्त नहीं किये गये, बल्कि सक्षम अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से नोटिस तामील करवाया गया। सक्षम अधिकारी के समक्ष भी अपीलार्थी द्वारा बार—बार समय चाहा गया एवं प्रकरण को लम्बित रखने का प्रयास किया गया।

9. कर बोर्ड के स्तर पर भी अपीलार्थी की वर्तमान अपील, आदेश दिनांक 5.7.2013 से अदम पैरवी में खारिज की गई है, जिसे अपीलार्थी की प्रार्थना पर आदेश दिनांक 13.8.2013 से रेस्टोर किया गया है।

10. उक्त सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में हर स्तर पर घोर लापरवाही बरती गई है। साथ ही विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह तर्क तथ्यों से परे है कि अपीलीय अधिकारी ने उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बगैर अपील को अदम पैरवी में खारिज किया गया है। प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड से स्पष्ट है कि विवादित आदेश दिनांक 18.05.2011 से पूर्ववर्ती तारीख पेशी दिनांक 31.03.2011 को अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि को आगामी तारीख पेशी नोट करवाई गई थी, आदेशिका पर अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मौजूद हैं। अपीलीय अधिकारी की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्येक पेशी पर किसी ना किसी कारण से समय लिया जाता रहा है। इसी प्रकार राजस्थान कर बोर्ड में भी अपीलार्थी के स्तर पर प्रत्येक पेशी पर लगातार समय चाहा जाता रहा है।

11. इस प्रकरण का Chequerred इतिहास है, जिसमें प्रकरण अपीलीय अधिकारी द्वारा दो बार अदम पैरवी में खारिज किया गया है, राजस्थान कर बोर्ड में भी अपीलार्थी की अपील अदम पैरवी में खारिज हुई है। अपीलार्थी गुणावगुण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने से बचता रहा है तथा येन केन प्रकारेण गुणावगुण पर निर्णय कराने में टालमटोल की रीति अपनाई गई है। यह सोची—समझी व्यूहरचना का भाग है। अपीलार्थी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का

लगातार.....4

दुरूपयोग किया जाना परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में विद्वान अभिभाषक का यह कथन पूर्णतया बलहीन है कि अपीलार्थी को सूचित किये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

12. पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 04.04.2008 को वाहन संख्या आर.जे.07/जीए—3378 को बिना बिल/बिल्टी/घोषणा—पत्र के किसान के नाम की बिल्टी बनाकर परिवहन किया जा रहा था। जांच के समय संजय रोड़लाईन्स खाजूवाला, बीकानेर की बिल्टी जी.आर. नं0 1021 दिनांक 03.04.2008 व नामान्तरण रजिस्टर पत्रावली हल्का बेरियांवाली तहसील खाजूवाला दिनांक 12.11.98 को चैक किये जाने पर माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण वाहन को मय माल वेट अधिनियम की धारा 76(5)(ए) के तहत निरूद्ध किया जाकर वाणिज्यिक कर जांच चौकी रतनपुरा पर खड़ा किया गया। जबकि जांच कार्य सम्पन्न होने से पूर्व ही दिनांक 10.04.2008 को जब्तशुदा वाहन को भगाकर ले जाने पर पुलिस थाना संगरिया में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 172 बुक नं0 18324 क्रम संख्या 13 दर्ज की गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संगरिया के एफ.आई.आर. नं0 172/08 के प्रकरण में आदेश दिनांक 11.06.2008 द्वारा वाहन सशर्त सुपुर्द करने के आदेश दिये गये। इस प्रकार प्रकरण में अपीलार्थी की करापवंचन में संलिप्तता प्रकट होती है।

13. सक्षम अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा विवादित माल काश्तकारों का होने सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर बीकानेर द्वारा गठित कमेटी, जिसमें एक वाणिज्यिक कर अधिकारी, दो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं एक वाणिज्यिक कर निरीक्षक सदस्य थे, ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.4.2008 द्वारा यह प्रमाणित किया है कि परिवहनित माल काश्तकारों का ना होकर अपीलार्थी के पिताजी (श्री बंशीलाल बिश्नोई) की फर्म से ही भरा गया है। जिन काश्तकारों रामस्वरूप व पारसमल पुत्रान श्री बंशीलाल ने उक्त माल अपना होना बताया है, उनकी कृषि भूमि का क्षेत्रफल 17 बीघा 1 बिस्वा पाया गया, जिसमें अधिकतम 35 क्विंटल सरसों ही हो सकती है, जबकि वाहन में 107 क्विंटल सरसों परिवहनित किया जाना पाया गया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि उक्त काश्तकारों के खेतों में सरसों काटी जाकर वहीं पड़ी हुई पायी गयी। इस प्रकार विवादित माल रामस्वरूप व पारसमल (काश्तकारों)

लगातार.....5

का नहीं होना पाया गया। जांच में यह भी पाया गया कि रामस्वरूप व पारसमल श्री बंशीलाल के पुत्र हैं अर्थात् अपीलार्थी के भाई हैं। श्री बंशीलाल बिश्नोई मैसर्स बजरंग ट्रेडिंग कम्पनी के प्रोपराईटर हैं, जहां से, माल प्रभारी के बयान अनुसार, परिवहनित माल लदान किया गया है। यह भी पाया गया कि विवादित ट्रांसपोर्ट कम्पनी संजय रोड़लाईन्स अस्तित्व में ही नहीं है। इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर भी यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा करापवंचन की मंशा से बिना दस्तावेज माल का परिवहन किया जा रहा था एवं न्यायिक प्रक्रिया के दौरान भी पूर्णतः असहयोगात्मक रवैया अपनाया गया तथा हर स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया गया है।

14. प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी एवं राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपीलार्थी की अपील अदम पैरवी में खारिज की गई तथा न्यायहित में अपीलार्थी को पुनः अवसर प्रदान करते हुए रेस्टोर भी की गयी हैं, इसके बावजूद पुनः अपील अदम पैरवी में खारिज हो जाना अपीलार्थी की लापरवाही को उजागर करता है। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी जानबूझकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तथा अपीलीय अधिकारी के समक्ष नियत दिनांक 18.05.2011 को उपस्थित ना होने का कोई युक्तियुक्त कारण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जा सके कि अपीलार्थी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि किन्हीं असाधारण परिस्थितियों के चलते अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके।

15. उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि बावजूद सूचना अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी की अपील अदम पैरवी में खारिज किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं गयी है।

16. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 18.5.2011 की पुष्टि की जाती है। साथ ही गुणावगुण पर भी अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में करापवंचन किया जाना प्रमाणित होने से सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 21.06.2008 की पुष्टि की जाती है।

17. निर्णय सुनाया गया।

05.08.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य